फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण

शान्ति बनाम लोकेश

प्रार्थना पत्र संख्या 42/2023

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	05.12.2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 ,2 के विरूद्ध मूलवाद में सम्यक तामीला मानी जाकर एक पक्षीय कार्यवाही अमल लाई जा चूकी है। प्रार्थी अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस करने हेतु निवेदन किया। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। प्रार्थी अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गई पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने एवं प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस जाहिर तथ्यों पर मनन करने के उपरान्त उचित समझते हुऐ उभयपक्षों को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पावंद किया जाता है कि उभयपक्ष विवादित आराजी खसरा नं. 137/3 रकबा 0.2529 हैक्ट. एवं खसरा नं. 81 रकबा 0.2276 हैक्ट. स्थित ग्राम रूपपुरा पटवार हल्का खिजुरिया ब्राहम्णान भू. अ.नि. सांभरिया तहसील बस्सी जिला जयपुर पर ताफैसला मूलवाद मौके की यथास्थिति बनायें रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर दर्ज नम्बर से कम हो। सहायक कलक्टर बस्सी, जयपुर ग्रामीण	